न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 566 सन 2018

अनवान :–

1. श्रवण कुमार पुत्र श्याम सुन्दर जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राधाकृष्ण पुत्र साहबराम जाति सुथार साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शंकरलाल पुत्र देवीदत जाति महाजन निवासी साहवा तहसील तारानगर
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 03/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 517/5 की 1.2650हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये बैयनामा दिनांक 27.02.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 से रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 517/5 की 1.2650हैक भूमि खरीद की गई थी खरीद के समय से ही वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 काबिज होकर भूमि काश्त करते आ रहे है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य काश्तकारों के साथ मुश्तरका खाता की भूमि का खाता विभाजन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा न0 517/1 की 5.00 बीधा भूमि प्राप्त हुई किन्तु रिकार्ड का अवलोकन करने पर राजस्व कर्मचारीयों को ज्ञान हुआ की खसरा न0 517/1 तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है जिससे खसरा न0 517/1 के स्थान पर 517/2 सशोधन कर दिया परन्तु बैयनामा में अंकिन नही हुआ।

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने बाहमी बटवारा कर रखा है जिसमें वादी को खसरा न0 517/5 की दक्षिण दिशा की व प्रतिवादी संख्या 2 को उतरी दिशा की भूमि प्राप्त हुई है जो काश्त करतें आ रहे है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जरिये बेयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जो वाद भूमि का विक्रेता है स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की खरीदशुद्वा भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने मौका रिपोर्ट/जबाब पेश किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के हकदारान रजिस्टर सम्वत 2063 से 2071 के खाता संख्या 137 में सयुक्त खाता में दर्ज भूमि का नामान्तकरण संख्या 1196 के द्वारा खाता विभाजन हुआ जिसमें राधाकृष्ण वल्द साहबराम जाति सुथार का रकबा 517/1 का 5.00 बीधा दर्शाया गया प्रारम्भ में खसरा न0 517/1 विभाजित होकर ऐकल था जो हकदारन के खाता संख्या 137 में 517/2 क रूप में खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा खाता संख्या 567 में 517/1 के रूप में गैर मुमकिन

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

सडक के रूप में दर्ज हुआ नई कम्पयुटरीकृत जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 बनते समय यह खसरा न0 517/5 के रूप में दर्ज हो गया वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 75 के खाता संख्या 433 में यह खसरा 517/5 के रूप में दर्ज है बैयनामा में खसरा न0 517/1 अंकित किया गया है जो हकदारन सम्वत 2063–2071 के अनुसार दर्ज है वर्तमान में यही नम्बर 517/5 की 5.00 बीधा के रूप में दर्ज है इसलिये जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 433 में दर्ज है जिसे मुताबिक बैयनामा दस्तावेज , श्रवण कुमार पुत्र श्याम सुन्दर जाति बहाम्ण साकिन नोहर व शंकरलाल पुत्र देवीदत जाति महाजन साकिन साहवा तहसील तारानगर ने खरीद किया है जिसका खसरा न0 517/1 की बजाय 517/5 की 5.00 बीधा किया जाना उचित है जबाब/रिपोर्ट शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये बैयनामा दिनांक 27.02.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 से रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 517/5 की 1.2650हैक भूमि खरीद की गई थी खरीद के समय से ही वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 काबिज होकर भूमि काश्त करते आ रहे है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य काश्तकारों के साथ मुश्तरका खाता की भूमि का खाता विभाजन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा न0 517/1 की 5.00 बीधा भूमि प्राप्त हुई किन्तु रिकार्ड का अवलोकन करने पर राजस्व कर्मचारीयों को ज्ञान हुआ की खसरा न0 517/1 तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है जिससे खसरा न0 517/1 के स्थान पर 517/2 सशोधन कर दिया परन्तु बैयनामा में अंकिन नही हुआ।

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने बाहमी बटवारा कर रखा है जिसमें वादी को खसरा न0 517/5 की दक्षिण दिशा की व प्रतिवादी संख्या 2 को उतरी दिशा की भूमि प्राप्त हुई है जो काश्त करतें आ रहे है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जरिये बेयनामा प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 जिसके द्वारा वाद भूमि का बेचान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को किया गया था स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया की उसके द्वारा वाद व प्रतिवादी संख्या 2 को वाद भूमि का बेचान किया जा चुका है जिसे उनके नाम से खसरा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

पेराकार राज ने अपनी जांच रिपोर्ट/जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के हकदारन रजिस्टर के आधार पर खसरा न0 517/1 दर्ज किया गया है जबकि नई जमाबन्दी कम्पयूरीकृत में उक्त खसरा 517/5 के रूप में दर्ज है इसलिये खसरा न0 517/1 के स्थान पर खसरा न0 517/2 संशोधन किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावंली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के हकदारान रजिस्टर सम्वत 2063 से 2071 के खाता संख्या 137 में सयुक्त खाता में दर्ज भूमि का नामान्तकरण संख्या 1196 के द्वारा खाता विभाजन हुआ जिसमें राधाकृष्ण वल्द साहबराम जाति सुथार का रकबा 517/1 का 5.00 बीधा दर्शाया गया प्रारम्भ में खसरा न0 517/1 विभाजित होकर ऐकल था जो हकदारन के खाता संख्या 137 में 517/2 क रूप में खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा खाता संख्या 567 में 517/1 के रूप में गैर मुमकिन सडक के रूप में दर्ज हुआ नई कम्पयुटरीकृत जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 बनते समय यह खसरा न0 517/5 के रूप में दर्ज हो गया वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 75 के खाता संख्या 433 में यह खसरा 517/5 के रूप में दर्ज है बैयनामा में खसरा न0 517/1 अंकित किया गया है जो हकदारन सम्वत 2063–2071 के अनुसार दर्ज है वर्तमान में यही नम्बर 517/5 की 5.00 बीधा के रूप में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा भी मौका रिपोर्ट के अनुसार भी स्पष्ट है कि रोही मौजा हकदारन रजिस्टर सम्वत 2063 से 2071 में खसरा न0 517/1 की 5.00 बीधा खातेदारों के नाम से दर्ज थी जो बाद में खाता संख्या 517/1 की 5.00 बीधा गै0मु0 सडक के रूप में दर्ज हुआ था नई कम्पयूरीकर्त जमाबन्दी तैयार करते समय खसरा न0 517/1 को ही खसरा न0 517/5 दर्ज किया गया है जिस पर खरीददार काबिज है इसलिये खसरा न0 517/1 के स्थान पर 517/5 संशोधन किया जाकर सम्बधित खरीददार के नाम दर्ज किया जाना उचित है।

प्रस्तुत रिकार्ड एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के हकदारान रजिस्टर सम्वत 2063 से 2071 में खसरा न0 517/1 की भूमि खातेदार के प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज थी जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा खरीद की गई थी जिसके सम्बध में प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं खाता विभाजन में खसरा 517/1 जो खातेदारों का था वह सहवन से गै0मु0 सडक के नाम दर्ज होने पर तहसीलदार ने राजस्व रिकार्ड में तो खसरा न0 517/1 के स्थान पर 517/5 संशोधन कर दिया किन्तु बैयनामा में नही हो सकता था जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा खरीद की गई भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में नही हो सका जिसे तहसीलदार की अभिशषा के आधार पर राजस्व में दर्ज करवाने का वाद अधिकारी है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी का स्वीकार करने एवं पेरोकार राज के द्वारा संशोधन करने के अभिशषां के आधार पर वादी का वाद साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 517/5 की 1.2650हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावें पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 3/1/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1 श्रवण कुमार पुत्र श्याम सुन्दर जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राधाकृष्ण पुत्र साहबराम जाति सुथार साकिन डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2 शंकरलाल पुत्र देवीदत जाति महाजन निवासी साहवा तहसील तारानगर
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 566 सन 2017 निर्णय दिनांक– 03/01/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 517/5 की 1.2650हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावें पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/1/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)